

नशे के खिलाफ शिकंजा:रीवा में 1.74 लाख रुपए की 10 पेटी नशीली कफ सिरफ जब्त, UP के मिर्चापुर से इको वैन कार में ला रहा था खेप

रीवाएक



- गाड़ा नदी के पास मऊगंज पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा

रीवा जिले की मऊगंज पुलिस ने नशे के खिलाफ शिकंजा कसते हुए 1.74 लाख रुपए की 10 पेटी नशीली कफ सिरफ जब्त की है। पुलिस के मुताबिक एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि UP के मिर्चापुर का तस्कर इको वैन कार में MP की ओर अवैध नशीला पदार्थ ला रहा है।

ऐसे में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए गाड़ा नदी के पास मऊगंज पुलिस ने घेराबंदी कर दी। जैसे ही आरोपी वाहन लेकर पहुंचा तो पुलिस ने रूकने का इशारा किया। कार की तलाशी में 10 कार्टून मिले हैं। जिसको खोलने पर कुल 1200 शीशी कीमती 174240 रुपए की कफ सिरप बरामद हुई है।

मऊगंज थाना प्रभारी निरीक्षक श्वेता मौर्या ने बताया कि गुरुवार की रात रीवा-हनुमना हाईवे में चेकिंग चल रही थी। तभी मुखबिर के द्वारा संदिग्ध कार की जानकारी मिली। तुरंत पुलिस बल को भेजा तो गाड़ा नदी के पास एक इको वैन कार क्रमांक यूपी 63 एजे 5948 दिखी।

जो मऊगंज की ओर आ रही थी। कार को रोककर चालक से पूछताछ की तो उसने अपना नाम रामप्रसाद चौरसिया पुत्र सहदेव चौरसिया (42) निवासी बरेज भाटीपुरवा थाना हलिया जिला मिर्जापुर उप्र बताया।

आरोपी को न्यायालय में पेशकर भेजा जेल

थाना प्रभारी की मानें तो कार की तलाशी में 10 पेटी नशीली कफ सिरफ मिली थी। जिनके अंदर से कुल 1200 शीशी निकली है। बाजार में इस नशीले पदार्थ की कीमत 174240 रुपए है। पुलिस ने आरोपी रामप्रसाद चौरसिया के विरुद्ध अपराध क्रमांक 583/21 धारा 8, A (C) 21,22 एनडीपीएस एक्ट एवं 5/13 औषधि नियंत्रण अधिनियम पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया था। जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

डिलवरी लेने वाले आरोपी फरार

सूत्रों की मानें तो पूछताछ में यूपी के तस्कर ने मऊगंज क्षेत्र के दो लोगों को डिलवरी देने की बात स्वीकार की है। ऐसे में पुलिस ने धर्मेन्द्र गुप्ता सहित एक अन्य को आरोपी बनाया है। जब पुलिस ने दोनों बदमाशों के घरों में दबिश दी तो नहीं मिले। ऐसे में पुलिस ने दोनों को फरार बताते हुए मुकदमा कायम कर गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं।